

प्रतापना ...  
को पेश हो

10/1/20

प्रतापना पेश हुई विकील वादी गण अनु-  
-परिष्कार / प्रतीवादी सं. पत्नी और से  
अधिकारता उपरिष्कार / प्रतीवादी सं. पत्नी के  
अधिकारता ने निवेदन किया कि वादी  
-गण अधिकारता द्वारा उक्त प्रतापना  
के अनु-प्रतीवादी गणों के सम्मन का पत्नी  
सम्पत्ति से पेश नहीं किया। अतः प्रतापना  
को नॉन कम्पलेन्स में खारीज भी जावे।  
वादी गण अधिकारता का पर्याप्त  
अवसर प्रदान करने के बावजूद भी  
अनु-प्रतीवादी गणों से प्रकार का लम्बा  
पेश नहीं किया। अतः न्यायालय में सम्मन  
में उपरिष्कार आता।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपस्थित अधिकारी, बावड़ी

रा.मु.उ. 230-8-10-5-00,000 प्रपत्र

FORM NO. III

AA-P-A  
Crim-I

फरद अहकाम  
(नियम 26)

अदालत

मुकाम


बनाम

सं. मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>नामालूम की ओर से बावडी के बावडी के अधिकारियों को बावडी के बावडी के बावडी के बावडी की नामालूम बावडी के बावडी की अपील नहीं आये। बावडी सं. 4 के अधिकारियों की एक पक्षीय बदल चुकी गई।</p> <p>नामालूम में बावडी सं. 4 की ओर से प्रस्तुत जवाबदादा स्वीकार किया जाता है। बावडी सं. 5 का निवेदन स्वीकार कर उक्त पक्षीय को 9 नियम के तहत खरीज किया जाता है। पक्षीय फैसल शुमा होकर नम्बर से काटकर, दाखिल दाखल हो।</p>	

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी